

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक: सहा./आ.वि./2021/640

दिनांक 16/07/2021

आदेश (185/2021-22)

तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा आकाशीय बिजली गिरने से पीड़ित को प्राकृतिक आपदा कोष से आर्थिक सहायता हेतु प्रकरण मय आवश्यक दस्तावेज के इस कार्यालय को प्रेषित किया है। तहसीलदार की अभिशंषा तथा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रकरण में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राज. जयपुर के प्राकृतिक आपदा राहत कोष से संबंधित आदेश दि. 08.04.2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर, पै-मेनेजर के माध्यम से बिल बनाकर सम्बन्धित को भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.स.	मृतक/पिता/पति का नाम व पता	दुर्घटना का दिनांक व कारण	आवेदन/प्राप्ति दिनांक	स्वीकृत सहायता राशि	सहायता राशि प्राप्तकर्ता का नाम व पीड़ित से सम्बन्ध	जन आधार	आधार कार्ड	बैंक का नाम	IFSC CODE	बैंक खाता संख्या	मोबाईल नं.	कृ.श्रेणी
1	श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री गलिया गरवाल नि.लबानी पाडा त. रावटी जिला रतलाम राज्य म0प्र0	दि. 15.07.2021 को आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु	15.07.2021	400000	श्री गलिया गरवाल (पति)	5084178327	727049705846	SBI	SBIN0009758	35871678429	-	-
		योग		400000								

(अक्षरे चार लाख रु. मात्र)

नोट :- 1. राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा :

मांग संख्या 34

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01 - सूखा

800 - अन्य व्यय

(03) - राहत कार्यों पर व्यय

(02) - अग्नि सहायता

12 - सहायतार्थ अनुदान

- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- उक्त राशि में आपदा प्रबन्धन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 75% राशि केन्द्रीय निधि (CA) से व 25%(SF) राशि राज्य मद से व्यय की जायेगी।

— 3
(तारा चन्द मीणा)

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

दिनांक 16/07/2021

क्रमांक: सहा./आ.वि./क्षति/2021/640

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राज. जयपुर।
- संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
- कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
- उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
- तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 856 दिनांक 14.07.2021 के क्रम में।
- आदेश पंजिका/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, आ.प्र.सहा
अति. जिला कलक्टर(भू.अ.)